

मुख्यमंत्री ने 'बेरोज़गारी भत्ता योजना' की राशिका कथिा अंतरण

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नविस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 'बेरोज़गारी भत्ता योजना' के 1 लाख 5 हज़ार 395 हतिग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख 25 हज़ार रुपए की राशिका ऑनलाइन अंतरण कथिा ।

प्रमुख बदि

- इन हतिग्राहियों में 66 हज़ार 185 हतिग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम कश्ति की राशिका जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय कश्ति के रूप में 16 करोड़ 54 लाख 62 हज़ार 500 रुपए की राशिका जारी की गई ।
- 24 हज़ार 15 हतिग्राहियों को जिन्होंने 30 अप्रैल, 2023 तक आवेदन कथिा था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोज़गारी भत्ते की कश्ति के रूप में 12 करोड़ 75 हज़ार रुपए की राशिका जारी की गई ।
- इसी प्रकार 15 हज़ार 195 हतिग्राहियों को जिन्होंने मई 2023 में आवेदन कथिा था, उन्हें आज प्रथम कश्ति की राशिका के रूप में 3 करोड़ 79 लाख 87 हज़ार 500 रुपए की राशिका जारी की गई ।
- बेरोज़गारी भत्ता योजना के हतिग्राहियों को प्रथम और द्वितीय कश्ति के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हज़ार 500 रुपए की राशिका जारी की गई है ।
- वदिति है कि बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने वालों में 39 प्रतशित महिलाएँ, 61 प्रतशित पुरुष, 83 प्रतशित ग्रामीण तथा 17 प्रतशित शहरी हतिग्राही है ।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार अभ्यर्थियों को भत्ता देने के लथि इस योजना की शुरुआत की है, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुआ है । इस योजना के तहत अभ्यर्थी को कम-से-कम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनविर्य है और रोज़गार कार्यालय में गत 2 वर्ष का पंजीयन होना आवश्यक है । आय प्रमाण-पत्र ज़रुरी है ।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता के लथि पात्र शक्ति युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लथि बेरोज़गारी भत्ता देय होगा । यदवियक्तविशिष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नथियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोज़गारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लथि और बढ़ाई जा सकेगी । कसिी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- योजना में पात्रता की शर्तें-
 - छत्तीसगढ़ का मूल नविसी
 - 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष
 - 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो
 - 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोज़गार पंजीयन
 - वार्षकि आय रुपए 2,50,000/- से अधिक न हो
- योजना में अपात्रता की शर्तें-
 - एक परिवार से एक ही सदस्य
 - पूर्व और वर्तमान मंत्री, वधिानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय नकिया, ज़िला पंचायत अध्यक्ष के परिवार
 - शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्य (चतुर्थ श्रेणी या गुरुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर)
 - 10,000 रुपए मासकि या उससे अधिक के पेंशन भोगी के परिवार
 - आयकर दाता परिवार
 - इंजीनयिर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवार



LL



